

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 10th April, 2006

No. CCP(NCR)/Y-3/2006/914.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of section of 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby publishes the following Draft Development Plan for the following controlled areas around Tirth Kapal Mochan, Rin Mochan and Suraj Kund declared vide Haryana Government, Town and Country Planning Department, Notification No.CCP(NCR)PA/Y-3/425, dated the 20th March 1998, published in Haryana Government Gazette, dated the 20th March, 1998, signifying the nature along with restrictions and conditions as given in Annexures A and B proposed to be made applicable to the said controlled areas covered by the said notification.

Notice is hereby given that the Draft Development Plan shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette together with any objections or suggestions which may be received by the Director, Town and Country Planning, Haryana Sector-18, Chandigarh, from any person in writing in respect of such Draft Development Plan before the expiry of the period as specified.

DRAWINGS

1. Existing land use plan Drawing No.DTP(Y) 99/98, dated the 7th October, 1998.
2. Draft Development Plan Drawing No.DTP(Y)155/2003, dated the 8th August, 2003.

ANNEXURE-A

**EXPLANATORY NOTE ON THE DRAFT DEVELOPMENT PLAN FOR THE CONTROLLED AREAS
AROUND TIRTH KAPAL MOCHAN, RIN MOCHAN AND SURAJ KUND FOR YEAR 2021 A.D.**

1. Introduction :

Kapal Mochan is a historical place of religious importance situated at a distance of about 24 kilometers from Yamuna Nagar towards its North near Bilaspur. It is approachable by a link road of about 2.5 kilometers length from

Yamuna Nagar-Sadhaura-Narain Garh-Panchkula State Highway which further leads to Nahan in Himachal Pradesh. According to Hindu mythology Lord Shiva freed himself from the sin of chopping the brain-pan of fifth head of Lord Brahma' by taking bath in the water of 'holy tank' situated here, hence the name 'Kapal Mochan'. There are two other tanks named as Rin Mochan' and Suraj Kund' stated to be of Mahabharata times and related to Pandavas.

In the fifteenth and seventeenth century the Sikh Guru and Shri Guru Nanak Dev Ji and Shri Guru Gobind Singh Ji visited this place. The local clergy have hand written documents of Shri Guru Gobind Singh Ji to prove the point. Every year during the month of October-November, the people from far off places visit the place, when three days' state fair' known as 'Kapal Mochan Mela' is organized. The devotees take a dip in the holy tanks. It is estimated that about 3 to 5 lac pilgrims visit this place every year.

2. Aim of declaration of Controlled Area:

Since the religious activity is restricted to about a week's period in a year, for the remaining part of the year the place remains an utter state of neglect. The District Administration makes arrangements for transportation, public utilities and stay of pilgrims. The community based voluntary groups also contribute to the efforts by constructing dharamshalas, shops, etc. Mela is getting popular with increasing number of devotees every year. Although voluntary groups have been contributing towards construction of shelters and upkeep of religious places, but in the absence of any planning intervention the entire development has been coming up in a most haphazard manner. The buildings are being constructed along the roads without leaving any setback and space for parking etc. creating bottlenecks for the smooth flow of pedestrian traffic. In order to check spontaneous growth and have blue print of orderly development of this place the controlled area was declared in the year 1998 vide Haryana Government Town and Country Planning Department Notification No.CCP(NCR) PA/Y-3/425 dated 20th March 1998.

3. Land use Proposal

Existing development exhibits mixture of uses such as institutional, residential and commercial. However, institutional use stands out the dominant one. This fact has been kept in view while making land use

proposals in Draft Development Plan for the future growth of the place. The table given below shows the land use proposal along with their extent.

Serial Number	Land Use	Area in Acres
(i)	Public Utilities	5 Acres
(ii)	Open spaces and Green Belts	36 Acres
(iii)	Agriculture Zone	495 Acres
(iv)	Special Zone	123 Acres
(v)	Restricted Zone	67 Acres
	Total	726 Acres

Brief description of the land use proposal is as follows:

- (i) **Public Utilities:** An area of 5 acres has been proposed to accommodate Public utilities for example Water-work, Electric Sub-Station, Drainage and Sanitary installation etc.
- (ii) **Open Space and Green Belts:** In order to maintain clean, serene and salubrious environment of the place and make provision for landscaping an area of 36 acre has been earmarked under open spaces and green belts. These spaces will also cater to the huge demand for space for binding exhibition and constructing makeshift shops during the Mela.
- (iii) **Agriculture Zone:** The remaining areas under control have been proposed for agriculture zone.
- (iv) **Special Zone:** Keeping in view the religious character of the place and existing land uses the provision of special zone has been made comprising of an area of 123 acres. It shall include institution, offices, recreational building and areas with residential, commercial and other uses ancillary to the main uses mentioned above.
- (v) **Restricted Zone:** An area of 67 acres around the tanks has been proposed as restricted zone. No construction activity shall be allowed within this zone. However, development works needed for the beautification and environment improvement of the place, for example landscaping, laying out of physical infrastructure etc. may be undertaken within the restricted zone with the permission of the Director.

4. Road System

As there are no major urbanization proposals, due to which the volume of vehicular or pedestrian traffic is not expected to be very heavy, except during the 'Mela' period hence no major road system has been proposed. The existing road system has sufficient Right-of-way to take care of future demand of traffic. However, no road is proposed less than 9m right-of-way.

5. Implementing Agency

So far District Administration has been making arrangements to organize yearly fair a society in the name of the 'Guru Govind Singh Memorial Kapal Mochan integrated Development Society' has been formed under the Chairmanship of Deputy Commissioner to look after the construction work of 'Guru Govind Singh Martial Art Museum' at Kapal Mochan and other affairs related to it. The society has a specific purpose. Hence a permanent agency would be required to be constituted for execution of the development plan proposals to secure development of this entire complex as envisaged in the plan.

6. Zoning Regulation

The legal sanctity to the proposal regarding land use is being given effect by a set of zoning regulations, which form part of this development plan. These regulations will govern the change of the land use and standards of development. They also have very elaborately detailed out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major land uses and shall stipulate that all the change of land use and development shall be in accordance with the detail shown in the sector plan thereby ensuring the preparation of detailed sector plan for each sector and to guide for development and enforce proper control.

ANNEXURE B

Zoning Regulations

Governing uses and development of land in the controlled area around Kapal Mochan, Rin Mochan and Suraj Kund as shown in drawing No. DTP (Y) 155/2003, dated the 8th August, 2003.

I. General

- (1) These regulations forming part of the development plan for the controlled area around Kapal Mochan Rin Mochan and Suraj Kund, shall be called zoning regulations of the Draft Development Plan for the controlled area around Kapal Mochan Rin Mochan and Suraj Kund.
- (2) The requirement of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Draft Development Plan and shall be in addition to the requirements of the Punjab Scheduled Roads and

Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the rules framed thereunder.

II. Definitions

In these regulations-

- (a) 'approved' means approved under the rules;
- (b) 'building rules' means rules contained in part VII of Rules;
- (c) 'Drawing', means Drawing No. DTP (Y) 155/2003, dated the 8th August, 2003;
- (d) 'Floor Area Ratio(FAR)' means the ratio expressed in percentage between the total floor area of a building on all floors and the total area of the site;
- (e) 'Group Housing' shall be buildings designed in the form of flatted development for residential purpose or any ancillary or appurtenant buildings including community facilities, public amenities and public utility as may be prescribed and approved by the Director, Town and Country Planning Department, Haryana;
- (f) 'light Industry' means an industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes, odors, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;
- (g) 'local service industry' means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area for example bakeries, ice-creams manufacturing, aerated water, atta chakkies with power, laundry, dry cleaning and dying, repair and service of automobile, scooters and cycles, repairing household utensils, shoe making and repairing, fuel depots etc. provided no solid fuel is used by them;
- (h) 'medium industry' means all industries other than 'Light Industry' and Local Services Industry not emitting obnoxious or injurious fumes and odors;
- (i) 'extensive industry' means an industry set up with the permission of the government and is extensive employing more than 100 workers which may use any kind of capacity power of fuel provided they do not have any obnoxious features;
- (j) 'heavy industry' means an industry set up in public or semi-public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant, machinery etc. shall be as defined in the industrial policy of the Government);
- (k) 'obnoxious or hazardous industry' means an industry set up with the permission of the government which is highly capital intensive and is associated with features such as excessive smoke, noise, vibration, stench unpleasant or injurious effluent, explosive inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community;
- (l) 'material date' means the date of publication of notification of the controlled areas declared as under:-

Name of Controlled Area and Notification No.	Material Date
Controlled area around Tirath Kapal Mochan Rin Mochan and Suraj Kund in Village-Bilaspur No.CCP(NCR)PA/Y-3/425, dated the 20 th March, 1998	20 th March, 1998

- (m) 'non conforming use' in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the development plan;
- (n) 'public utility service building' means any building required for running of public utility services such as water supply, drainage, electricity, post and telegraph and transport and for any Municipal services including a fire station;
- (o) 'Rules' mean the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules 1965;
- (p) 'sector density and colony density' mean the number of persons per acre in sector area or colony area, as the case may be;
- (q) 'sector area' and 'colony area' shall mean the area of the sector or the colony as bounded within the major road system shown on the drawing.

Explanation:

- (1) in the case of sector and on the approved layout plan of the colony in the case of colony including 50% land under the major roads surrounding the sector and excluding land under the major road system and the area unfit for building development within the sector or the colony, as the case may be;
- (2) For the purpose of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 55% of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under group housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons per building plot or as incorporated in the

VI. Sectors to be developed exclusively through Government Enterprises.

- (1) Change of land use and development in sectors which are reserved for the commercial zone and the semi public zone shall be taken only and exclusively through the Government in this behalf and no permission shall be given for development of any colony within these sectors.
- (2) Notwithstanding the provision of clause (1) above, the Government may reserve at any time, any other sector for development exclusively by it or by the agencies mentioned above.

VII. Land Reservation for Major Roads :

- (1) Land reservation for major roads marked in the Drawing shall be as under:

Serial Number	Classification	Road	Land Reserved
(1)	V-I(a)	Bilaspur-Ranjeetpur Road	Existing width with 30 meters green belt on both sides.
(2)	Other road	With Green Belt.	Existing width

- (2) Width and alignment of others road shall be as per area plan or approved layout plans of the colonies.

VIII. Industrial non-conforming uses :

With regard to the existing industries shown in the zones other than Industrial zone in the development plan such industrial non-conforming uses may be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director but not exceeding ten years, provided that the owner of the industry concerned-

- (a) undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate changes towards the external development of the site as and when called upon by the Director; to do so in this behalf;
- (b) during the interim period makes satisfactory arrangement for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director; and
- (c) no further expansion shall be allowed within the area of non-conforming use.

IX. Discontinuance of non-conforming uses

- (1) If a non conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more it shall be deemed to have terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use;
- (2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent more of its reproduction value by fire, floods, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be redeveloped only for a conforming use.
- (3) After a lapse of period fixed under clause VIII the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

X. The development to conform to area plan and zoning plan :

Except as provided in regulation VIII no land within major land use shall be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the area plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XI. Minimum size of plots for various types of building

The minimum size of plots for various types of uses shall be as under:

(i) Residential Plot	50 m ²
(ii) Residential Plot unsubsidized industrial housing or slum dwellers housing scheme approved by the Government.	35 m ²
(iii) Shop-cum-Residential Plot	100 m ²
(iv) Shopping booth including covered corridor or pavement in front	20 m ²
(v) Local Service industry	100 m ²
(vi) Light Industry Plot	250 m ²
(vii) Medium Industry Plot	8000 m ²

XII. Site Coverage, height and bulk of building under various types of buildings.

Site coverage and the height upto which building may be erected within independent residential and industrial plot, shall be according to the provisions contained in chapter VII of the rules. In the case of other categories, the maximum coverage and the floor area ratio subject to architectural control, as may be imposed under regulation (XVI) shall be as under :-

Serial Number	Type of use	Maximum Ground Floor Coverage in %	Maximum Floor Area Ratio	Remarks
1.	Government Offices	25	150	
2.	Commercial (a) Integrated corporate	40	150	The total area of the commercial pocket is to be considered as plottable area while working out the total plotted area of the sector
3.	Warehousing	75	150	

Note below-Basement floor shall be permitted as approved in the zoning plan. The basement shall not be used for storage purposes.

XIII. Building lines in front, side and rear of buildings

These shall be provided in accordance with rules 51, 52 and 53 of the Rules.

XIV. Architectural Control

Every building shall conform to architectural control prepared under rule 50 of the Rules.

XV. Relaxation of land use within Agricultural Zone

In the case of any land lying in rural zone, the Government may relax the provisions contained in this development plan:-

(a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the coloniser has purchased the land for the said use and development prior to the material date and the coloniser secures permission for this purpose as per rules;

(b) for use of land as an individual site (as distinct from an industrial colony) provided that:-

(i) the land was purchased prior to the material date;

(ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;

(iii) the owner of the land secures permission for building as required under the rules; and

(iv) the owner of the land undertakes to pay to the Director as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation:

The word "purchase" in this regulation shall mean acquisition of full proprietary rights and no lesser title such as agreements to purchase etc.

XVI. Provision of farmhouse outside Abadi-deh in Agricultural Zone

A farmhouse in rural zone, outside Abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 Acres or more on the following conditions:-

	Size of Farm House	Main building of the dwelling unit	Ancillary building of main dwelling unit
(i) Site Coverage	2 acres minimum	As applicable to the residential plot equivalent to 500 square yards.	1 percent of the farm land (not more than 40% shall be used for labour / servant quarters).
	Upto 3 acres	As applicable to the residential plot equivalent to 750 square yards.	-do-
	Upto 4 acres and above	As applicable to the residential plot equivalent to 1000 square yards.	-do-
(ii) Height and storey		11 Meters, three storeyed	4 meters, single storey.

(iii)

Set back:

It shall be at least 15 meters away from the edge of the agricultural land on all sides, provided that if land attached to the farmhouse is near a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:-

- (a) where the road is bye-pass to a Scheduled Road 100 meters
 (b) where the road is Scheduled Road 30 meters
 (c) any other road 15 meters
- (iv) **Approach road**
 (a) Any revenue rasta/road defined in the revenue record.
- (v) **Basement**
 Basement shall be permitted to the maximum extent of ground floor coverage but in the basement water closet and bathroom shall not be permitted.
- (vi) **Ledge, loft and mezzanine floor**
 Ledge, loft and mezzanine floor shall be permitted within the building subject to the restriction above as well as restriction stipulated in the definition given in part-II.
- (vii) **Services, Water Supply and Drainage**
 (a) Good potable water supply should be available in the farm for human consumption in case of farmhouse is built.
 (b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of dairy farms, drains are to be provided for carrying rainwater in case of all buildings.
 (c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as per provisions of Rules.
 (d) The distance between the septic tank and open well or tube well shall be as provided in Rules.
 Provided that Government may amend the minimum size of the farm for any scheme sponsored by the State Government/State Agency for the proper utilisation of the rural zone.

XVII. Relaxation of Development Plan

Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of development plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other condition as it may deem fit to impose.

XVIII. Special Zone

Special zone shall include institutions, offices, recreational buildings and area with residential and other uses ancillary to the main use mentioned above.

XIX. Provision of Information Technology Units and Cyber Park of Cyber Cities

(i) Location

- (a) Information Technology Industrial Units will be located in Industrial Areas/Industrial Zones only.
 (b) Cyber Parks/ Information Technology will be located either in Industrial Areas or Industrial/Residential Zones auditing on V-I/M-1 and V-2/M-2 roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks.

(ii) Size

Serial Number	Type	Size
1.	Information Technology Industrial Unit 5 Acres	1 to 1 to 5 acres
2.	Cyber Park/ Information Technology Park	5 to 15 acres
3.	Cyber City	Minimum 50 acres

(iii) Miscellaneous

I. Parking

- (a) One Equivalent Car Space for every 50 Square meters of floor area shall be provided for parking in Cyber Park/Information Technology Park, Information Technology Industrial Unit and Cyber City.
 (b) Twin level basement shall be allowed only for parking under the zoned area.

II. Other Activities

- (a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the gross area of the Cyber Park/Information Technology Park.
 (b) Only 5% of the total area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the Cyber City shall be permitted for Commercial/Industrial uses.
 (c) No residential plotted development shall be allowed in a Cyber City.
 (d) For a Cyber City Project if allowed in Agricultural/Rural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc.

II. The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

APPENDIX A
Classification of land uses

Main Code	Sub Code	Main Group	Sub Group
500		Public Utilities	
	510		Water Supply installation Including treatment plants
	520		Drainage and Sanitary Installations including Disposal works
	530		Electric Power Plants, Sub Station etc.
	540		Gas installation and Gas Work
700		Open Spaces	
	710		Sports Grounds
	720		Stadiums, Play Grounds
	730		Other Recreational Uses
	740		Cemeteries and Crematories
	750		Fuel Filling Stations and Bus Queue Shelters
800		Agricultural zone	
	810		Market Garden
	820		Orchards and Nurseries
	830		Land under Staple Crops
	840		Grazing and land pastures
	850		Forest Land
	860		Marshy land
	870		Barren land
	880		Land under water
900		Special Zone	
1000		Restricted Zone	
			Beautification and Environment Improvement Works.

APPENDIX B**I. Public Utilities**

- (i) Water-supply installations including Treatment Plant
- (ii) Drainage and sanitary installations including Disposal works
- (iii) Electric Power plant Sub-stations including Grid Sub-station
- (iv) Gas installation and Gas works

At sites earmarked in the Plan

II. Open Spaces

- (i) Sports ground, stadium and play grounds.
- (ii) Parks and Green belts
- (iii) Cemeteries, crematories etc
- (iv) Motor fuel filling stations, Bus queue shelter along roads with the permission of the Director.
- (v) Any other recreational use with the permission of the Director.
- (vi) Public utility services like transmission lines, drainage's lines in the green belts along the scheduled road and major roads.

At sites approved by Director

III. Agriculture Zone

- (i) Agriculture, horticulture, dairy and poultry farming
- (ii) Village house within Abadi-deh

At sites approved by Director

(iii)	Farm houses outside Abadi-deh subject to restriction as laid down in zoning regulation XVI	At sites approved by Director	(iv)
(iv)	Afforestation development of any of its part for recreation	At sites approved by Director	(v)
(v)	Expansion of existing village contiguous to Abadi deh if undertaken a project approved or sponsored by the Central Government or State Government.	At sites approved by Director	(vi)
(vi)	Milk chilling station and pasteurization plant	At sites approved by Director	(vii)
(vii)	Bus stand and Railway Station	At sites approved by Director	(viii)
(viii)	Air port with necessary buildings	At sites approved by Director	(ix)
(ix)	Wireless stations	At sites approved by Director	(x)
(x)	Grain godowns, storage spaces at sites approved by the Director	At sites approved by Director	(xi)
(xi)	Weather stations	At sites approved by Director	(xii)
(xii)	Land drainage and irrigation, hydroelectric work and tubewell for irrigation.	At sites approved by Director	(xiii)
(xiii)	Telephone and electric transmission lines and poles	At sites approved by Director	(xiv)
(xiv)	Mining and extraction operation including lime and bricks-kilns, stones quarries and crushing subject to the rules and at approved site	At sites approved by Director	(xv)
(xv)	Cremation and burial grounds	At sites approved by Director	(xvi)
(xvi)	Petrol filling station and service garages	At sites approved by Director	(xvii)
(xvii)	Hydro electric/thermal power plants/sub stations	At sites approved by Director	(xviii)
(xviii)	Liquified Petroleum Gas storage godowns with the approval of Director	At sites approved by Director	(xix)
(xix)	(A) Non-Polluting industries registered as Rural Industries Scheme/Small Scale Industries units subject to one of the following Conditions:-	At sites approved by Director	(i)
(i)	Located within half kilometer belt encircling the existing village abadi and approachable from a public road/path other than Scheduled Roads, National Highway and State Highway	At sites approved by Director	(ii)
(ii)	On public road/path not less than 30 feet wide other than Scheduled Roads, National Highway and State Highway outside the half kilometer belt referred to in item (i) above up to a depth of 100 meter along the approach road	At sites approved by Director	(B)
(B)	Non-polluting medium and large scale Agro-based Industries on public roads / revenue rasta not less than 30 feet wide other than Scheduled Roads, National Highway and State Highway;	At sites approved by Director	(C)
(C)	The site should not fall within 900 meters restricted belt around defence installations.	At sites approved by Director	(xx)
(xx)	Small Restaurant, Motels along National Highways	At sites approved by Director	(xxi)
(xxi)	Microwave Towers/Stations, Seismic center and Telecommunication Centers	At sites approved by Director	(xxii)
(xxii)	Any other use which the Government may in public interest decide.	At sites approved by Director	
IV. Special Zone :			
(i)	Offices	At sites approved by Director	
(ii)	Residence	At sites approved by Director	
(iii)	Boarding House	At sites approved by Director	
(iv)	Social Community religious and recreational buildings	At sites approved by Director	
(v)	Public utility buildings	At sites approved by Director	
(vi)	Educational buildings and all types of school and college where necessary	At sites approved by Director	
(vii)	Health institution	At sites approved by Director	

(viii)	Commercial and professional office	At sites approved by Director	(iii)
(ix)	Retail shops and restaurants		
(x)	Local service industries		
(xi)	Petrol filling stations		
(xii)	Bus stops, Tonga, Taxi, scooter and rickshaw stand		
(xiii)	Nurseries and green house		
(xiv)	Any other minor needs ancillary to residential use		
(xv)	Commercial offices and banks		
(xvi)	Restaurants and Transit Boarding houses Including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, tourist houses etc.		
(xvii)	Truck stands /Bus stops , Taxi, Tonga ,rickshaw stand		

(V) Restricted Zone :
Beautification and environment improvement works.

APPENDIX-1

Categories of industries included in the scope/definition of Information Technology Industry.

(A) Computing Devices including :

- Desktop
- Personal Computer
- Servers
- Work-station
- Nodes
- Terminals
- Network P.C.
- Home P.C.
- Lap-top Computers
- Note Book Computers
- Palm top Computer /PDA

(B) Network Controller Card/Memories including :

- Network Interface Card (NIC)
- Adapter Ethernet/PCI/EISA/Combo/PCMICA
- SIMMs Memory
- Dims Memory
- Central processing Unit (CPU)
- Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including :

- Hard Disk Drives/ Hard Drives
- RAID Devices and their Controller
- Floppy Disk Drives
- C.D.ROM Drives
- Tape Drives DLT Drives/DAT
- Optical Disk Drives
- Other Digital Storage Devices

(D) Other

- Key Board
- Monitor
- Mouse
- Multi-media Kits.

(E) Printers and Output Devices including :

- Dot matrix
- Laser Jet
- Inkjet
- Desk jet
- LED Printers
- Line Printers
- Plotters

- Pass-book Printers**
- (F) Networking products including :**
- Hubs
 - Routers
 - Switches
 - Concentrators
 - Trans-receivers
- (G) Software including :**
- Application Software
 - Operating System
 - Middleware/Firmware
- (H) Power supplies to Computer Systems including :**
- Switch mode power supplies
 - Uninterrupted Power supplies
- (I) Net working /Cabling and related accessories:**
(related to Information Technology Industry)
- Fiber Cable
 - Copper Cable
 - Cables
 - Connectors, Terminal blocks
 - Jack panels, patch cord
 - Mounting cord/wiring blocks
 - Surface mount boxes
- (J) Consumables including :**
- C.D.ROM/Compact Disk
 - Floppy Disk
 - Tapes DAT/DLT
 - Ribbons
 - Toners
 - Inkjet Cartridges
 - Inks for Output devices
- (K) Electronic Components :**
- Printed Circuit Board/populated PCB
 - Printed Circuit Board/PCB
 - Transistors
 - Integrated Circuits/Ics
 - Diodes/Thyristor/LED
 - Resistors
 - Capacitors
 - Switches (On/off, Push button, Rocker etc)
 - Plugs/shockets/relays
 - Magnetic heads, Print heads
 - Connectors
 - Microphones/Speakers
 - Fuses
- (L) Telecommunication Equipment including :**
- Telephones
 - Videophones
 - Facsimile machines/Fax cards
 - Tele-Printers/Telex machine
 - PABX / EPABX / RAX / MAX Telephone Exchange
 - Multiplexes/ Muxes
 - Modems
 - Telephone answering machines
 - Telecommunication Switching Apparatus
 - Antenna and Mast
 - Wireless data com equipment
 - Receiving equipment like Pagers, Mobile/Cellular Phones, etc.
 - VSATs :**
 - Video Conferencing Equipments

Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) **Information Technology Enabled Services are business process and services, the end products/services of which are:-**

- Delivered outside India.
- Delivered over communication network; and
- Either externally contracted (out sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out located).

Note : Services which would not be included are :-

- (i) Remote production/manufacturing units.
- (ii) The Corporate offices of companies or their local branches; and
- (iii) Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

- (i) Back-Office Operations
- (ii) Call Centers
- (iii) Contents Development of Animation
- (iv) Data Processing
- (v) Engineering and Design
- (vi) Geographic Information System Services
- (vii) Human Resource Services
- (viii) Insurance Claim Processing
- (ix) Legal Database
- (x) Medical Transcription
- (xi) Payroll
- (xii) Remote Maintenance
- (xiii) Revenue Accounting
- (xiv) Support Centers; and
- (xv) Web-site Services.

SHAKUNTLA JAKHU

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana,

Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 अप्रैल, 2006

संख्या सी० सी० पी० (एन० सी० आर०)/वाई-3/2006/914.—पंजाब अनुसूचित सङ्क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, (दिनांक 20 मार्च, 1998, को हरियाणा राज्य पर में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)पी.ए./वाई-3/425, दिनांक 20 मार्च, 1998 द्वारा घोषित निम्नलिखित तीर्थ कपालमोर्चन, रिन मोर्चन और सूरज कुण्ड के इर्द गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र के लिए उक्त अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले उक्त नियंत्रित क्षेत्रों को इस पर लागू किये जाने वाले प्रस्तावित अनुबन्ध क और ख में दिए गए निर्बन्धनों तथा शर्तों सहित स्वरूप को महत्व देने वाली निम्नलिखित प्रारूप विकास योजना प्रकाशित करते हैं।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात सरकार, प्रारूप विकास योजना पर, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो कि निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, सैकटर 18 चाणडीगढ़ को लिखित रूप में किसी व्यक्ति से ऐसी प्रारूप विकास योजना के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी।

ड्राइंग

1. विधभान भूमि उपयोग योजना ड्राइंग संख्या डी.टी.पी. (वाई) 99/98, दिनांक 7 अक्टूबर, 1998;

2. प्रारूप विकास योजना ड्राइंग संख्या डी.टी.पी. (वाई) 155/2003, दिनांक 8 अगस्त, 2003

अनुबन्ध - क

वर्ष 2021 ई० वी० के लिए तीर्थ कपाल मोर्चन, रिन मोर्चन और सूरज कुण्ड के इर्द गिर्द के नियंत्रित क्षेत्रों के लिये प्रारूप विकास योजना पर व्यारव्यात्मक टिप्पणी

1. परिचय

कपालमोर्चन, एक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है जो कि लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर यमुनानगर से उत्तर दिशा में बिलासपुर के पास स्थित है। यहां पहुंचने के लिए 2.5 किमी. लम्बाई की लिंक सङ्क तथा यमुनानगर - सड़ौरा - नारायणगढ़ - पचकूला राज्य मार्ग से जोड़ी गई है जो कि आगे हिमाचल प्रदेश में नाहन को जाती है। हिन्दू धर्म के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ पर स्थित इस पवित्र तालाब में स्नान कर स्वयं को ब्रह्मा के पांचवें सिर को काटने के पाप से मुक्त किया। इसका नाम कपाल मोर्चन पड़ा। यहां पर महाभारत के समय के कहे जाने वाले दो अन्य रिन मोर्चन और सूरज कुण्ड नामक तालाब हैं जो कि पाण्डवों से सम्बन्धित हैं।

15वीं और 17वीं शताब्दी में सिंख गुरु और श्री गुरु गोविन्द सिंह जी डस स्थान पर आये। इस बात को जावित करने के लिये यहाँ पर गुरु गोविन्द द्वारा हस्तलिखित स्थानीय दस्तावेज हैं। हर वर्ष अक्टूबर तथा नवम्बर के बहिने में दूर दूर के डिलाकों से लोग यहाँ आते हैं जब यहाँ पर तीन दिवसीय 'राज्य मेला' होता है जो कि कपालमोर्चन मेला के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालू इन पवित्र तालाबों में डुबकी लगाते हैं। यह अन्दाजा लगाया जाता है कि हर वर्ष 3-5 लाख श्रद्धालू यात्रा पर आते हैं।

2. नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य

जैसे कि वर्ष में एक सप्ताह के समय के लिये यह क्षेत्र धार्मिक गतिविधि के लिये प्रतिबन्धित है और वर्ष के बाकी हिस्से में यह स्थान उपेक्षित पड़ा रहता है। जिला प्रशासन ने यातायात, जन उपयोगिताओं, और श्रद्धालूओं के ठहरने के लिये प्रबन्ध किये हैं। स्वयंसेवी संघों के समुदाय भी धर्मशालाओं, दुकानों आदि का निर्माण करके इसके विकास में योगदान दे रहे हैं। हर वर्ष श्रद्धालूओं की बढ़ती संख्या से यह मेला प्रसिद्ध हो रहा है। यशापि स्वयंसेवी संघ इस क्षेत्र में धार्मिक तथा अन्य स्थानों के विकास के लिये छाया निर्माण आदि कार्यों में योगदान दे रहे हैं परन्तु एक नियोजित योजना की अनुपस्थिति में यहाँ का तमाम विकास बहुत ही भीड़ भाड़ तथा आकर्षित रूप से हो रहा है। भवन आदि सङ्क के बिल्कुल किनारों पर बनाये गये हैं जहाँ पर पार्किंग आदि के लिये कोई स्थान न छोड़ गया है जो कि पैदल चलने वाले यात्रियों के सुचारू रूप से चलने में बाधा का काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र के स्वतः विकास और आवश्यकताओं की पूर्ति की स्फीरवा के लिये हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम योजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)पी.ए./वाई-3/425 दिनांक 20 मार्च, 1998, द्वारा वर्ष 1998 में नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया था।

3. भूमि उपयोग प्रस्ताव

इस क्षेत्र का वर्तमान विकास सांस्थनिक, आवासीय और वाणिज्यिक जैसे भिन्ने जुले भूमि उपयोग को प्रदर्शित करता है तथापि संस्थानात्मक उपयोग एक प्रमुख उपयोग है। यह तथ्य इस क्षेत्र के आगामी विकास के लिये प्रस्तावित प्रारूप विकास

योजना में भूमि उपयोग प्रस्तावों को बनाते समय ध्यान में रखा गया है। नीचे दी गई तालिका भूमि उपयोग प्रस्तावों को उनकी मात्रा अनुसार दिखाती है।

क्रमांक	भूमि उपयोग	क्षेत्र एकड़ में
(i)	जन उपयोगिताएं	5 एकड़
(ii)	खुले स्थान तथा हरित पट्टी	36 एकड़
(iii)	कृषि जोन	495 एकड़
(iv)	मुख्य जोन	123 एकड़
(v)	प्रतिबधित जोन	67 एकड़
	कुल	726 एकड़

भूमि उपयोग प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण:-

- (i) **जन उपयोगिताएं:**
जल कार्य, विजली सब स्टेशन, जल निकास तथा स्वच्छता संबंधी जन उपयोगिताओं की स्थापना के लिए 5 एकड़ का एक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।
- (ii) **खुले मैदान और हरित पट्टी:**
इस स्थान के वातावरण को सुन्दर, साफ और स्वच्छ बनाये रखने के लिये और भूमि स्केपिंग के लिये उपबंध बनाने के लिये 36 एकड़ का एक क्षेत्र खुले स्थान तथा हरित पट्टी के अन्तर्गत अकित किया गया है। ये स्थान मेंते के दौरान बाजार की दुकानों तथा प्रदर्शनी के लिये उत्पन्न बड़े मांगों को भी पूरा करेंगे।
- (iii) **कृषि जोन:-**
शेष नियन्त्रित क्षेत्र कृषि जोन के लिये प्रस्तावित है।
- (iv) **मुख्य जोन:-**
वर्तमान भूमि उपयोग और इस क्षेत्र के धार्मिक चरित्र को ध्यान में रखते हुए मुख्य जोन के उपबंध 123 एकड़ के वर्तमान भूमि उपयोग और इस क्षेत्र के धार्मिक चरित्र को ध्यान में रखते हुए मुख्य जोन के उपबंध 123 एकड़ के क्षेत्र के लिये बनाये गये हैं। जो कि संस्थान, कार्यालय, मनोरंजक भवन, रिहायशी तथा वाणिज्यिक और उपरोक्त अन्य भूमि उपयोगों को संजोये हुए हैं।
- (v) **प्रतिबधित जोन:-**
टैको के द्वारा गिर्व 67 एकड़ का क्षेत्र प्रतिबधित जोन के लिये प्रस्तावित है। इस जोन में कोई भी निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है। तथापि इस स्थान की सुन्दरता तथा वातावरण में सुधार के लिये विकास कार्य किये जाने की स्वीकृत नहीं है। तथापि इस स्थान की सुन्दरता तथा वातावरण में सुधार के लिये विकास कार्य किये जाने की स्वीकृत नहीं है। तथापि इस स्थान की सुन्दरता तथा वातावरण में सुधार के लिये विकास कार्य किये जाने की स्वीकृत नहीं है। तथापि इस स्थान की सुन्दरता तथा वातावरण में सुधार के लिये विकास कार्य किये जाने की स्वीकृत नहीं है। तथापि इस स्थान की सुन्दरता तथा वातावरण में सुधार के लिये विकास कार्य किये जाने की स्वीकृत नहीं है। तथापि इस स्थान की सुन्दरता तथा वातावरण में सुधार के लिये विकास कार्य किये जाने की स्वीकृत नहीं है।

4. सड़क पद्धति

जैसे कि यहाँ पर कोई प्रमुख नगरीय प्रस्ताव नहीं हैं इस लिये यहाँ पर मेले के सिवाय वाहनों के द्वारा या पैदल चलने वालों की भारी भीड़ की आशा नहीं की जा सकती, जिस कारण से यहाँ पर कोई प्रमुख सड़क पद्धति प्रस्तावित नहीं की गई है। वर्तमान सड़क पद्धति भविष्य की यातायात आवश्यकता को पुरा करने के लिये भी सही है, तथापि किसी भी सड़क का मार्गान्धिकार 9 मीटर से कम नहीं है।

5. कार्यान्वयन अभिकरण

वार्षिक मेले का आयोजन करने के लिये जिला प्रशासन ने प्रबन्ध किये हैं। गुरु गोविन्द सिंह गैमोरियल कपाल मोर्चन इन्टरेरेटिड डैवलपमेन्ट सोसायटी के नाम से एक संस्था उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बनाई गई है जो कि कपाल मोर्चन में गुरु गोविन्द सिंह मार्शल आर्ट म्युजियम के निर्माण कार्य तथा इससे सम्बद्धित अन्य कार्यों की देख रेख के लिये है जो कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इसलिये प्राप्त विकास योजना में तमाम परिसरों के विकास कार्य के प्रस्तावों को कार्यान्वयन करने के लिये एक स्थाई अभिकरण की स्थापना करने की जरूरत है।

6. अंचल विनियम

भूमि उपयोग संबंधी प्रस्तावों को अंचल विनियम बनाकर, जो इस विकास योजना का भाग है, वैध बनाया जा रहा है। ये विनियम भूमि उपयोग में परिवर्तन और विकास मानकों के लिये लागू होंगे। इन विनियमों में विभिन्न मुख्य भूमि उपयोगों में अनुमति सम्बद्ध तथा सहायक उपयोगों का भी बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है और यह तय किया गया है कि भूमि उपयोग परिवर्तन तथा विकास योजना में दिये गये दृष्टि अनुसार होंगा। इससे प्रत्येक सेक्टर का निर्दिष्ट विकास और उचित नियन्त्रण करने हेतु विस्तृत सेक्टर योजनाएं तैयार किया जाना संभव हो सकेगा।

अनुबन्ध रत

7 अंचल विनियम :

कपालमोचन, रिन मोचन तथा सूरज कुण्ड के इर्द गिर्द के नियन्त्रित क्षेत्र में आने वाली भूमि ड्राईग संख्या ढीटी पी(वाई)155 /2003, दिनांक 8 अगस्त, 2003 में दर्शाये अनुसार है।

i) सामान्य:

1. कपालमोचन, रिन मोचन तथा सूरज कुण्ड के इर्द गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र की विकास योजना का भाग बनने वाले इन अंचल विनियमों को कपाल मोचन, रिन मोचन तथा सूरज कुण्ड के इर्द गिर्द नियन्त्रित क्षेत्रों के लिये विकास योजना अंचल विनियम कहा जाएगा।
2. ये विनियम विकास योजना में शामिल समूचे क्षेत्र के लिये होंगे और पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र नियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और उसके अधीन बनाये गये नियमों की आवश्यकता के अतिरिक्त होंगे।

ii) परिभाषायें

इन विनियमों में;

- (क) "अनुमोदित" से अभिप्राय है नियमों के अधीन अनुमोदित;
- (ख) "भवन नियमों" से अभिप्राय है, नियमों के भाग - VII में अंतर्विष्ट नियम;
- (ग) "ड्राइग" से अभिप्राय है, ड्राइग संख्या - ढीटीपी. (वाई) - 155 /2003 दिनांक 8 अगस्त, 2003;
- (घ) "फर्श थोन अनुपात (फ०क्षे०अनु०)" से अभिप्राय है, किसी भवन की सभी मजिलों के कुल फर्श क्षेत्र और स्थल के कुल क्षेत्र के बीच प्रतिशतता से नियमित होगा;
- (इ०) "सामूहिक आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी पर्योजन के लिए फलैट के रूप में डिजाइन किये गये भवन या अनुबंगी अथवा सम्बद्ध भवन होंगे जिनमें सामुदायिक सुविधायें, सार्वजनिक सुख सुविधायें और जन उपयोगितायें शामिल हैं, जो निदेशक नगर तथा साम आयोजना विभाग द्वारा विहित और अनुमोदित हों;
- (च) "हल्के उद्योग" से अभिप्राय है, ऐसे उद्योग जिसके कारण हानिकारक या आपत्तिजनक शोर, धूआं, गैस, भाप या गन्ध, धूल, मलनिष्ठाव और अन्य अत्यधिक डिगी का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हो;
- (छ) "स्थानीय सेवा उद्योग" से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनियमित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर इतेगाल किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसकीम, विनिर्माण, बातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लोटी, ड्राइकलीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाडियों, स्कूटर तथा साईकिलों की मुरम्मत तथा सार्विस, घरेलू वर्तनों की मुरम्मत, जूते बनाना और उनकी मुरम्मत, ईधन द्विपो आदि बशर्ते कि उन द्वारा किसी ठोस ईधन का उपयोग न किया जाता है,
- (ज) "मध्यम उद्योग" से अभिप्राय है, हल्के उद्योग तथा स्थानीय उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो खतरनाक गंध या दुर्गन्ध न फैलाते हों;
- (झ) "व्यापक उद्योग" से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों, जिसमें ईधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार से हानिकारक तत्व न हों,
- (झ०) "भारी उद्योग" से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सरकारी या अर्दसरकारी या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (स्टॉट मशीनी इत्यादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);
- (ट) "हानिकारक या खतरनाक उद्योग" से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धुआं, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक मलनिष्ठाव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल न हों;
- (ठ) "वास्तविक तिथि" से अभिप्राय है, नीचे दर्शायी गई घोषित नियंत्रित क्षेत्र की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि;

क्र.सं	नियंत्रित क्षेत्र का नाम तथा अधिसूचना संख्या	वास्तविक तिथि
1	तीर्थ कपाल मोचन, रिन मोचन और सूरज कुण्ड के इर्द गिर्द गाँव बिलासपुर में नियंत्रित क्षेत्र, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)गी.ए./वाई- 3/425 दिनांक 20 मार्च 1998	20 मार्च 1998

- (इ) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में 'अननुरूप उपयोग' से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन का वर्तमान उपयोग जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए निर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हों,

- (३) "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन" से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए अपेक्षित हो, जैसा जल सप्लाई, जल निकास, बिजली, डाक तथा तार एवं परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;
- (४) "नियमों" से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सङ्क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965;
- (५) "सेक्टर सघनता और कॉलोनी सघनता" से अभिप्राय है, उस सेक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र में जैसी भी स्थिति हो, प्रति एकड़ व्यक्तियों की संख्या;
- (६) "सेक्टर क्षेत्र अथवा कॉलोनी क्षेत्र" से अभिप्राय है, सेक्टर या कॉलोनी का क्षेत्र जैसि मानचित्र पर दिखाये अनुसार मुख्य सङ्क प्रणाली से प्रतिबन्ध हो;

व्याख्या

- 1 सेक्टर और कॉलोनी के नाम से कालोनी के अनुसारित अभिविन्यास योजना पर कालोनी का क्षेत्रफल इसमें सेक्टर के चारों ओर मुख्य सड़कों के अन्तर्गत आने वाली 50 प्रतिशत भूमि शामिल है और मुख्य सङ्क प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली भूमि तथा सेक्टर या कॉलोनी में, जैसी भी स्थिति हो, भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र शामिल नहीं है।
- 2 "सेक्टर सघनता" या "कॉलोनी सघनता" की गणना के प्रयोजनार्थ यह परिकल्पित होगा कि सेक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 55 प्रतिशत रिहायशी प्लाटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें वर्ग आवास के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र शामिल होगा और प्रत्येक भवन प्लाट में औसतन तीन आवासीय इकाईयाँ होंगी जिसमें प्रत्येक आवास इकाई 4.5 व्यक्ति की जनसंख्या से प्रत्येक भवन प्लाट में 13.5 व्यक्ति रह सकेंगे अथवा जो कि कॉलोनी/वर्ग आवास काम्पलैक्स की अंचल योजना में संभावित है। तथापि दुकान एवं रिहायशी प्लाट के मामले में केवल एक आवासीय इकाई की परिकल्पना की जायेगी।
- (८) "स्थल आच्छादन" से अभिप्राय है, भूतल पर नियमित क्षेत्र और स्थल के बीच प्रतिशतता द्वारा दर्शाया गया अनुपात,
- (९) "आधिनियम", "कॉलोनी", "उप-निवेशक", "विकास योजना", "सेक्टर" और "सेक्टर योजना" शब्दों का वही अर्थ होगा जो पंजाब अनुसूचित सङ्क के तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 41) और नियम 1965 में उनको दिया गया है;
- (१०) "फार्म गृह" से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर है
- (i) निवास युनिट अर्थात् मुख्य उपयोग; तथा
- (ii) फार्म छायाचान अर्थात् गौण उपयोग।

टिप्पणियाँ

- (१) फार्म गृह का निर्माण "ग्रामीण/कृषि अंचल में आवादी देह से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था" संबंधी खण्ड के अन्तर्गत दिये गये निर्बन्धनों द्वारा शासित होगा;
- (२) फार्म गृह, "भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियों" संबंधी खण्ड में उल्लेखित निर्बन्धनों द्वारा शासित होगे।
- (३) "टांड या पुश्तवान" से अभिप्राय है, खवं कमरे के अन्दर खम्बे के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से आदृत एक खाने जैसा उभार, परन्तु जिसका उभार एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो;
- (४) "आटारी" से अभिप्राय है, सामान्य फर्झ से ऊपर अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई ढलुआ छत में शेष बचे स्थान पर नाध्यवर्ती फर्झ, जो भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित करवाई जाती है अथवा अपना लौ जाती है;
- (५) "परछती तल" से अभिप्राय है, भूतल के ऊपर मध्यवर्ती तल जिसमें परछती उस तल के क्षेत्रफल का 1/3 तक सीमित होती है तथा जिसमें भूमि की सतह से ऊपर कम से कम 2.2 मीटर ऊँचाई हो;
- (६) "कृषि उपयोग साधान" से अभिप्राय होगा, ऐसा विकास तथा गतिविधियाँ, जो कृषि सम्बन्धी कार्यों को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, चैम्बर, चायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाढ़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जल नलके आदि;
- (७) "ग्रामीण उद्योग स्कीम" से अभिप्राय है, एक ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योग स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत हो;
- (८) "लघु उद्योग" से अभिप्राय है, एक ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो;
- (९) "कृषि आधारित उद्योग" से अभिप्राय है, एक ऐसा औद्योगिक युनिट, जो खाद्यान, फलों या कृषि सम्बन्धी कार्यों का उपयोग करके खाल के रूप में करता है;

(य ख) अन्य शब्दों का वही अर्थ होगा, जो पजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम 1963, (1963 का अधिनियम 41) में उनको दिया गया है;

(य ग) "सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई" से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में शामिल उद्योगों की श्रेणी तथा इस अधिसूचना के अनुबन्ध-1 में तथा/अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया जाये;

(य घ) "साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क" से अभिप्राय है, वह क्षेत्र जो अनन्य साफटवेयर विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों तथा सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं को अवस्थित करने के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के उत्पादन (आसेम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(य झ) "साईबर सिटी" से अभिप्राय है, सूचना प्रौद्योगिकी परिकल्पना का विस्तार करने तथा मध्यम तथा भारी सॉफ्टवेयर कम्पनियों/सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के अंकुरण के लिये, उच्च गुणवत्ता वाले मूल भूत ढाचे, आर्कषक वातावरण तथा उच्च गति की संचार प्रणाली से युक्त, विकसित किए जाने वाला परिपूर्ण शहर, जिसमें उत्पादन करने वाली इकाईयों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(iii) मुख्य भूमि उपयोग/अंचल

- (i) जन उपयोगिताएं
- (ii) खुले स्थान
- (iii) कृषि अंचल
- (iv) विशेष अंचल
- (v) प्रतिबद्धि अंचल

मुख्य भूमि उपयोग का वर्गीकरण परिशिष्ट के अनुसार है।

(IV) मुख्य उपयोगों से भूमि उपयोग संबंधी व्यौरे

मुख्य, सहायक एवं गौण उपयोग के लिए इन विनियमों तथा नियमों को अन्य उपेक्षाओं के अन्तर्गत संबंधित मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोड़ दिये गये हैं।

(V) विकास के लिए अनुपर्युक्त सेक्टर

विभिन्न सेक्टरों में भवन परियोजनार्थ संबद्ध उपयोग के लिए आरक्षण होने पर भी निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन एवं किफायती विकास के वृष्टिगत किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक जल सालाई, जल नल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, इन सेक्टरों में, उसकी तसलील तक सुनिश्चित रूप में उपलब्ध नहीं हो जाती।

(VI) सरकारी उधमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सेक्टर

(1) वाणिज्यिक जौन एवं अर्द्ध रार्जनिक अंचल के लिए आरक्षित सेक्टरों में भूमि उपयोग परिवर्तन एवं विकास के बहुत सरकार के माध्यम से किया जायेगा और इन सेक्टरों में किसी कालोनी के विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) उपर्युक्त खण्ड (1) के अलावा भी सरकार किसी भी समय स्वयं या उपर्युक्त एजेंसियों द्वारा विकास हेतु किसी अन्य सेक्टर को आरक्षित कर सकती है।

(VII) मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण

(I) दौड़ींग में चिह्नित की गई मुख्य सड़कों के लिये भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जाएगा:-

क्रम संख्या	वर्गीकरण	सड़कें	आरक्षित भूमि
1.	वी - 1 (ए)	बिलासपुर - रणजीतपुर मार्ग	वर्तमान चौड़ाई के दोनों तरफ 30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी सहित
2.	अन्य सड़कें	इरित पट्टी सहित	वर्तमान चौड़ाई

(ii) अन्य सड़कों की चौड़ाई और सीधाई क्षेत्र प्लान अथवा कालोनियों की अनुमादित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।

(VIII) औद्योगिक अननुरूप उपयोग

विकास योजना में औद्योगिक जोन से भिन्न जोन में दिखाये गये वर्तमान उद्योगों के संबंध में निदेशक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि के लिए औद्योगिक अननुरूप उपयोग ज्ञारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। किन्तु ये अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि सम्बद्ध उद्योग रखानी:

- (क) उस स्थल को निदेशक द्वारा निर्धारित बाह्य विकास के लिए निर्धारित अनुपातिक प्रभारों को देने का वचन देता है जब उसे रेसा करने के लिए कहा जायेगा।
- (ख) अत्यधिक अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार मूल निकास के लिए संतोषजनक व्यवस्था करे, तथा
- (ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में किसी प्रकार के विस्तार की अनुमति नहीं होगी।

(IX) अननुरूप उपयोग बन्द करना

- (1) यदि किसी भूमि का अननुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि को पुनः उपयोग के लिए लगातार बन्द रहा जायेगा।
- (2) यदि अननुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लडाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से पुनः उत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनः विकसित करने की अनुमति दी जायेगी।
- (3) खण्ड VIII के अन्तर्गत नियत अवधि के समाप्त होने के बाद ऐसी भूमि केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनः विकसित करने या उपयोग में लाने की अनुमति दी जायेगी।

(X) सेक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुरूप विकास

विनियम - VII] ने उपबंधित के सिवाय कोई मुख्य भूमि उपयोग जिसमें भूमि विद्यमान है, को भवन निर्माण परियोजनार्थी उपयोग और विकसित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो।

(XI) विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकार

विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए प्लाटों का न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगे:-

(i) रिहायशी प्लाट	50 वर्ग मीटर
(ii) सरकार द्वारा अनुमोदित आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास या गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए आवास रकीम में रिहायशी प्लाट	35 वर्ग मीटर
(iii) दुकान एवं रिहायशी प्लाट	100 वर्ग मीटर
(iv) शापिंग बूथ जिनमें सामने बरामदा या ईंट का पैदल भारी शामिल हो	20 वर्ग मीटर
(v) स्थानीय सेवा उद्योग प्लाट	100 वर्ग मीटर
(vi) हल्के उद्योग प्लाट	250 वर्ग मीटर
(vii) नायम उद्योग प्लाट	8000 वर्ग मीटर

(XII) विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार

स्वतंत्र रिहायशी और औद्योगिक प्लाट पर बनाये जाने वाले भवनों का निर्मित क्षेत्र और ऊँचाई नियमों के अध्याय (vii) में उल्लेखित उपबन्धों के अनुसार होंगी। अन्य वर्गों के मामले में विनियम (xvi) के अन्तर्गत लगाये जाने वाले वास्तुकला नियन्त्रण के अनुसार अधिकतम निर्मित क्षेत्र और फर्ज क्षेत्र अनुपात निम्नानुसार होगा:-

क्रमांक	उपयोग की विधि	क्रमांक	भूमितल भजिल का अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात	विशेष क्रशन
1	सरकारी कार्यालय	726	25 प्रतिशत	.50	क्रमांक फर्श क्षेत्रफल (i)
2	बाणिजिक (क) एकीकृत निर्गमन	727	40 प्रतिशत	150	सेक्टर के कुल प्लाट क्षेत्र का हिसाब लगाने समय बाणिजिक क्षेत्र के कुल क्षेत्र को प्लाट घोष क्षेत्र के रूप समझा जाना है। (ii)
3	भण्डागार	728	75 प्रतिशत	150	क्रमांक फर्श क्षेत्रफल (iii)

ध्यान देने योग्य:-

तहवाना अंचलिक दोजना में अनुमति अनुसार होगा। तहवाना भाग ग्राम प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।

(XIII) भवनों की अगली ओर पिछली ओर व भुजा की ओर भवनाभिक्ति यह नियमों के नियम संख्या 51, 52 तथा 53 में उपबन्धित अनुसार होगी। (iv)

(XIV) वास्तुकला संबंधी नियंत्रण

प्रत्येक भवन नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत बनाये वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा। (v)

(XV) कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढील

कृषि अंचल में पड़ी किसी भूमि के आमते में सरकार इस विकास योजना के उपबन्ध में निम्नलिखित हेतु ढील दे सकती है:-

(क) भूमि के आवासीय अवास औद्योगिक उपनिवेशन में उपयोग एवं विकास के लिए बशर्ते कि उपनिवेशक ने यह भूमि यास्तविक तिथि से तहत उक्त उपयोग एवं विकास के लिए संरीदी हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि के उपयोग के लिए (औद्योगिक कालोनी से भिन्न) बशर्ते कि:- (vi)

(i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि खरीदी गई है।

(ii) सरकार को इस बात से संतुष्टि है कि उपयोग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन वीं प्रतीक्षा नड़ी की जा सकती।

(iii) भू-स्वामी, यथा अपेक्षित नियमों के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है, एवं

(iv) भू-स्वामी, निदेशक द्वारा निर्धारित अनुपातिक प्रभार जब भी कभी मांग की जाये, अदा करने की प्रतिज्ञा करता है और अंतरिम अवधि में गल निकास वीं संतोषजनक व्यवस्था करता है। (vii)

लगारछ्या:- इस विनियम वीं शब्द क्य (खरीद) का अभिप्राय पूर्ण स्वामित्व (viii)

अधिकारों को प्राप्त करना है तथा न कि पटटानामा या क्य हेतु इकारानामा आदि। (ix)

(XVI) कृषि अंचल/ग्रामीण अंचल में आवासीय देह के बाहर फार्म हाउस की व्यवस्था

ग्रामीण अंचल के आवासीय देह के बाहर फार्म हाउस की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाये, यदि भूमि का क्षेत्र दो एकड़या इससे अधिक हो:-

	फार्म हाउस का आकार	आवासीय इकाई का मुख्य भवन	मुख्य आवासीय इकाई का अनुषंगी भवन
(i) आच्छादित सील	न्यूनतम 2 एकड़	जैसा कि 500 वर्गमील के समकक्ष रिहायशी प्लाट के लिये लागू हैं	फार्म की भूमि का एक प्रतिशत (नजदीयों/नौकरों के क्वाटरों के लिये 40 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं किया जायेगा)
	3 एकड़ तक	जैसा कि 750 वर्गमील के समकक्ष रिहायशी प्लाट के लिये लागू है।सम....
	4 एकड़ तक और अधिक	जैसा कि 1000 वर्गमील के समकक्ष रिहायशी प्लाट के लिये लागू है।सम....
(ii) उचाई तथा मजिल	11 मीटर, 3 मजिल, 4 मीटर, 1 मजिल 1'		

(iii) दूरी;

कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 15 मीटर दूर परन्तु यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है तो गृह का निर्णय सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगा:-

- | | | |
|-----|--------------------------------------|----------|
| (क) | जहाँ सड़क अनुसूचित सड़क का बाईपास है | 100 मीटर |
| (ख) | जहाँ सड़क अनुसूचित सड़क है | 30 मीटर |
| (ग) | कोई अन्य सड़क | 15 मीटर |

(iv) पहुँच सड़क

भूराजस्व अधिकार में परिभाषित कोई राजस्व रास्ता/सड़क

(v) तहखाना

अधिकतम भूतल आच्छादन सीमा तक तहखाने के लिए अनुमति दी जायेगी, परन्तु तहखाने में शौचालय और स्नानगृह बनाने की अनुमति नहीं होगी।

(vi) लैज, लाफट और जानाईन फर्श तल

लैज, लाफट और जानाईन फर्श तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त प्रतिबन्धों और भाग-II में दी गई परिभाषा में दिये गये, प्रतिबन्धों के अन्तर्गत दी जायेगी।

(vii) सेवार्ये-जल आपूर्ति तथा जल निकास

(क) यदि फार्म गृह का निर्णय किया जाता है तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी भीने योग्य जल आपूर्ति अपलब्ध होनी चाहिए।

(ख) दोनों फार्म के मामले में अथवा दोनों फार्म के मामले में वर्षा के पानी के निकास हेतु नालियों का प्रबन्ध किया जाये, सभी भवनों के मामले में वर्षा के पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था की जानी है।

(ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मनुष्य और पशुओं के गल निस्तरण के लिए मलाइय की व्यवस्था की जाये।

(घ) मलाइय और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में उपबन्धित अनुसार होगी।

परन्तु सरकार गार्मी अंचल के उचित उपयोग के लिए राज्य सरकार/राज्य अधिकारण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संशोधन कर सकती है।

(XVII) विकास योजना में ढील:

सरकार किसी प्रकार की कठिनाई की दशा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्भित किसी ढांचे को बचाने की दृष्टि से विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य शर्तों पर वह लगाना उचित समझे, समान तथा न्याय के सिद्धांत पर विकास योजना के किसी भी उपबन्धों में ढील दे सकती है।

(XVIII) मुख्य जोन

मुख्य जोन में संस्थाएं, कार्यालय, मनोरंजनात्मक भवन तथा अपर वर्षित मुख्य उपयोग के लिए आवासीय क्षेत्र तथा अन्य अनुषंगिक उपयोग शामिल होंगे।

(XIX) सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां एवं साईबर पार्क/साईबर सिटी के लिए उपबन्धः-

(i) अवस्थिति

(क) सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाईयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगी।

(ख) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एकीकृत विकास के रूप में सड़क वी-1/एम-1 तथा वी-2/एम-2 के साथ लगते हुए औद्योगिक या रिहायशी अंचल में अवस्थित होंगे। तथापि ऐसे पार्कों में कोई विनियोग कर रही इकाईयां अनुग्रात नहीं होंगी।

(ग) साईबर सिटी-ऐसी सुविधा की अवस्थिति का सरकार द्वारा विनिश्चय किया जायेगा।

(ii) "आकार"

क्रम संख्या	प्रकार	आकार
1	सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई	1 से 5 एकड़
2	साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क	5 से 15 एकड़
3	साईबर सिटी	न्यूनतम 50 एकड़

(iii) विविध

(I) पार्किंग

(क) साईबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक

इकाईयों तथा साईबर सिटी में प्रति 50 वर्गमीटर फर्श क्षेत्रफल के लिए एक समतुल्य कार स्पेस की दर से पार्किंग सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

- (रव) दोहरा स्तरीय तहराना केवल जोन क्षेत्र के अधीन पार्किंग के लिए अनुमति दिया जाएगा।
- (II) अन्य कियाकलाप
- (क) आनुषंगिक वाणिज्यिक कियाकलाप जैसे कि बैंक रेस्टोरेंट, इंश्योरेंस ऑफिस इत्यादि के लिए साईबर पार्क/सूचना ग्रौथोर्गिकी पार्क के पूर्ण क्षेत्र के 4 प्रतिशत निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी।
- (ख) साईबर सिटी के क्षेत्र में युप हाउसिंग के लिए केवल 5 प्रतिशत अनुग्रह होगा तथा इस साईबर सिटी का 4 प्रतिशत वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोगों को अनुमति दी जायेगी।
- (ग) साईबर सिटी में रिहायशी प्लाटों के विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी;
- (घ) साईबर सिटी प्रोजेक्ट यदि कृषि अंचल/ग्रामीण अंचल में अनुग्रह हो तो उद्यमी पानी सप्लाई तथा अन्य सुविधायें जैसे कि गृह निकास, ड्रेनेज इत्यादि को निपटाने का प्रबन्ध करेगा। सरकार कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जैसा कि समय-समय पर आवश्यक समझे।
- (III) परिशिष्ट क

भूमि उपयोग का वर्गीकरण

मुख्य कोड	उपकोड	मुख्य वर्ग	उपवर्ग
जन उपयोगिताएँ			
500	510		जल आपूर्ति संस्थापन जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं।
	520		जल निकास और सफाई संस्थापन जिनमें निस्तरण कार्य भी शामिल है।
	530		बिजली संयंत्र उपस्टेशन आदि
	540		गैस संस्थापना और गैस कार्य
700	710	खुले स्थान	खेलकूद मैदान
	720		स्टेडियम, क्रीड़ा मैदान
	730		अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग
	740		कब्रिस्तान, इमारान घाट आदि
	750		पैट्रोल पम्प स्टेशन तथा बस पर्किंग बैलर
800		कृषि भूमि	भार्किट गार्डन
	810		फल उद्यान तथा नर्सरिया
	820		प्रधान फरात के अन्तर्भृत भूमि
	830		चराई भूमि तथा चरागाहे
	840		वन भूमि
	850		दलदल भूमि
	860		बंजर भूमि
	870		जलमग्न भूमि
	880		सुन्दरता और पर्यावरण सुधार कार्य
900		मुख्य अंचल	
1000		प्रतिबद्धित अंचल	

I- जन उपयोगिताएँ

- i) जल सप्लाई, स्थापना इसमें शोधन संयंत्र भी शामिल है।
- ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएँ इसमें निपटान कार्य भी शामिल है।
- iii) इलैक्ट्रिक पावर प्लाट सब-स्टेशन में ग्रिह सब-स्टेशन भी शामिल है।
- iv) गैस स्थापना तथा गैस गोदाम

सेक्टर योजना में दी गयी है।

निर्धारित स्थलों पर अधिकार

II- खुले स्थान

- i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा खेल मैदान

- ii) पार्क तथा हरित पट्टी
 iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि
 iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ पैट्रोल पम्प, बस पर्सिं/शैल्टर
 v) निदेशक की अनुमति से कोई अन्य मनोरंजन सम्बन्धी उपयोग
 vi) अनुसूचित सड़कों एवं मुख्य सड़कों के साथ हरितपट्टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे कि पेषण लाईनें, ड्रैनेज लाईनें।

III- कृषि जोन

- i- कृषि, बागवानी, डेरी और गुर्गा पालन
 ii- आबादी देह में गांव घर
 iii- अंचल विनियम XII में निर्धारित प्रतिबन्धों के अनुसार आबादी देह के बाहर फार्म हाउस
 iv- बन रोषण विकास तथा मनोरंजन के लिए उसका कोई भाग
 v- आबादी देह के सभीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना हो।

- VI) दुर्घ अवशीतन केन्द्र और पैस्च्यूरीकरण केन्द्र
 VII) बस अड्डा और रेलवे स्टेशन
 VIII) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्डा
 IX) बेतार केन्द्र
 X) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल
 XI) मौसम कार्यालय
 XII) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली केन्द्र और सिंचाई के लिए नलकूप
 XIII) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाईनें और खम्भे
 XIV) खन्न तथा उत्खन्न कार्य जिसमें चूना तथा इंटों के भट्टे पत्थर खादने और क्रेशिंग शामिल हैं।
 XV) शमशान और कब्रिस्तान
 XVI) पैट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज
 XVII) पन बिजली/र्थमत बिजली संयंत्र/उपकेन्द्र

निदेशक के अनुमोदन से एल.पी.जी. भण्डारण
गोदाम।

**XVIII) निदेशक के अनुमोदन से एल.पी.जी. भण्डारण
गोदाम।**

(क) ग्रामीण उद्योग योजनाएं/लघु उद्योग इकाईयों के हृष में पंजीकृत प्रदूषण रहित उद्योग बशर्ते कि वे निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करें:

- i- वर्तमान गांव आबादी के आरापास की पट्टी के आधे कि.मी. में स्थित हो और अनुसूचित सड़कों, राजमार्ग और राज्य अनुसूचित ग्राजमार्ग से भिन्न किसी सार्वजनिक सड़क/रास्ते द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता हो।
 ii- सार्वजनिक सड़क/रास्ते पर जो 30 फुट की चौड़ाई से कम न हों, अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के अलावा उपरोक्त (1) में उल्लेखित आधे कि.मी. की जोन से बाहर पहुंच सड़क के साथ-साथ 100 मीटर के अन्दर की ओर।

(ख) प्रदूषण रहित मध्यम और बड़े धैमाने के कृषि आधारित उद्योग, अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग से भिन्न, कम से कम 30 फुट चौड़ी सार्वजनिक सड़कों/राजस्व रास्तों पर,

(ग) यह स्थल रक्षा स्थापनाओं के चारों ओर की 900 मीटर प्रतिबंधित पट्टी में नहीं आना चाहिए।

(xix) मुख्यराष्ट्रीय राजमार्ग के साथ छोटे रैस्तों तथा बोटस्प

निदेशक द्वारा
अनुमोदित स्थलों
पर

ताप्ति निलूप - II

(xx)	माईक्रोवेव स्टूप/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र	हाइफल, लाइटिंग स्टेशन लॉसिंग/प्रार्सिंग	
(xxi)	कोई अन्य उपयोग जिसके लिए सरकार लोकडित में निर्णय ले सकती है	कोइन्ट्रो लॉसिंग/प्रार्सिंग	(३)
(IV)	मुख्य अंचल	रेप्टोर डेटा/डिमांड लॉसो डेटा	
i-	कार्यालय	प्रार्सिंग डिफरेंस लॉसिंग लॉसिंग/प्रार्सिंग	
ii-	निवास स्थान	डॉक्टर लॉसिंग	
iii-	बोर्डिंग हाउस	कॉलेज लॉसिंग	
iv-	सामाजिक समुदाय, धार्मिक और मनोरंजक भवन	सामाजिक लॉसिंग	
v-	जन उपयोगिता भवन	सामाजिक लॉसिंग	
vi-	शिक्षण संस्थान और जहाँ पर आवश्यक हो सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय।	सामाजिक लॉसिंग	(४)
vii-	स्वास्थ्य संस्थान	सामाजिक लॉसिंग	
viii-	वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय	सामाजिक लॉसिंग	
ix-	फुटकर बिक्री दुकाने तथा रेस्तरां	सामाजिक लॉसिंग	निवेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर
x-	स्थानीय सेवा उद्योग	सामाजिक लॉसिंग	
xii-	पैट्रोल फिलिंग स्टेशन	सामाजिक लॉसिंग	
xiii-	बरा रापा, टांगा, टैक्सी, स्कूटर और रिक्शा स्टैंड	सामाजिक लॉसिंग	
xiv-	नरसी और हरे क्षेत्र	सामाजिक लॉसिंग	
xv-	रिहायशी प्रयोग के लिये आवश्यक और अन्य छोटी जस्ते वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक	सामाजिक लॉसिंग	
xvi-	रेस्तरां और बोर्डिंग हाउस तथा रिहायशी सुविधा प्रदान करने वाले जन सहायता संस्थान जैसे धर्मशाला, पर्टक हाउस आदि।	सामाजिक लॉसिंग	(५)
xvii-	ट्रक स्टैंड/ बस स्टैंड, टैक्सी, टांगा, रिक्शा स्टैंड	सामाजिक लॉसिंग	
(V)	प्रतिबंधित अंचल	सामाजिक लॉसिंग	
	वातावरण तथा सुन्दरता के विकास कार्य	सामाजिक लॉसिंग	
		परिशिष्ट - 1	
		सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्कोप/परिभाषा में सम्मिलित किए गए उद्योगों की श्रेणियां	
(अ)	कम्प्यूटर डिवाइसिज के अन्तर्गत :	कम्प्यूटर लॉसिंग	(६)
	डैस्ट्रिप्टा	सामाजिक लॉसिंग	
	पर्सनल कम्प्यूटरस	सामाजिक लॉसिंग	
	सर्वर्स	सामाजिक लॉसिंग	
	वर्क स्टेशन	सामाजिक लॉसिंग	
	नोडस	सामाजिक लॉसिंग	
	टरमिनलस	सामाजिक लॉसिंग	
	नेटवर्क पी.सी.	सामाजिक लॉसिंग	(७)
	डोम पी.सी.	सामाजिक लॉसिंग	
	लैटॉप कम्प्यूटर्स	सामाजिक लॉसिंग	
	नोट बुक कम्प्यूटर्स	सामाजिक लॉसिंग	
	पामटॉप कम्प्यूटर्स/पी.डी.ए	सामाजिक लॉसिंग	
(आ)	नेटवर्क कट्रोलर कॉर्ड /मेमोरी के अन्तर्गत:	सामाजिक लॉसिंग	
	नेटवर्क इन्टरफ़ेस कार्ड (एन. आई. सी.)	सामाजिक लॉसिंग	
	एडोन्टर इथरनेट/पी.सी.आई/ई.आई.एस.ए/कोम्प्यूटर/पी.सी.एम.आई.सी.ए	सामाजिक लॉसिंग	
	एस.आई.एम.एम.मेमोरी	सामाजिक लॉसिंग	
	डी.आई.एम.एम. मेमोरी	सामाजिक लॉसिंग	
	सैन्ट्रल प्रौसेसिंग यूनिट (सी.पी.यू)	सामाजिक लॉसिंग	
	कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई/ ऐरे	सामाजिक लॉसिंग	

(इ)	प्रौदेशिक / प्रौदेशिक पावर गोड्यून / अपरेटर स्टोरेज यूनिट्स के अन्तर्गत:	हार्ड डिस्क ड्राईवर्स / हार्ड ड्राईवर्स आर. ए. आर. डी. डिवाइसिस एवं उसके कन्ट्रोलर फलोपी डिस्क ड्राईव सी.डी.रोम ट्रैप ड्राईवज डी.एल.टी. ड्राईवज / जी.ए.टी. आपटीकल डिस्क ड्राईवज अन्य डिजिटल स्टोरेज डिवाइज	स्टोरेज यूनिट्स के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (xx) हार्ड डिस्क ड्राईवर्स के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (xx) आर. ए. आर. डी. डिवाइसिस एवं उसके कन्ट्रोलर के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (vi) फलोपी डिस्क ड्राईव के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (ii) सी.डी.रोम ट्रैप ड्राईवज डी.एल.टी. ड्राईवज / जी.ए.टी. आपटीकल डिस्क ड्राईवज के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (iii) अन्य डिजिटल स्टोरेज डिवाइज के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (vi)
(इ)	अन्य:	की बोर्ड मोनीटर माऊस मल्टीमीडिया किट्स	स्टोरेज यूनिट्स के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (vii) स्टोरेज यूनिट्स के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (iv) स्टोरेज यूनिट्स के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (iv) स्टोरेज यूनिट्स के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (iv)
(उ)	प्रिन्टर एवं आऊटपुट डिवाइसिस के अन्तर्गत:	डोट मैट्रिक्स लेजरजेट इन्कजेट डेस्कजेट एल.ई.डी.प्रिन्टर्स लाइन प्रिन्टर्स प्लाटर्स पास बुक प्रिन्टर्स	स्टोरेज यूनिट्स के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (viii) स्टोरेज यूनिट्स के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (viii)
(क्र.)	नेटवर्किंग उत्पाद के अन्तर्गत :	हब्ज रूटर्स स्विचिस कोन्सन्ट्रेटर्स ट्रांसिसिवर्स	स्टोरेज यूनिट्स के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (viii) स्टोरेज यूनिट्स के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (viii)
(ए)	सोफ्टवेयर के अन्तर्गत:	एलीकेशन साफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम मिडल वेयर / फर्म वेयर	सोफ्टवेयर के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (vi)
(ऐ)	कम्प्यूटर सिस्टम के लिए लगने वाला पावर सप्लाई के अन्तर्गत :	स्विच मोड पावर सप्लाई अनइन्टरप्टेड पावर सप्लाई	सोफ्टवेयर के अन्तर्गत इनीशियल प्रौदेशिक प्रौदेशिक डिवाइस (vi)
(ओ)	नेटवर्किंग / केबलिंग एवं उससे संबंधित भाग :	(सूचना प्रौद्योगिक उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल कोपर केबल केबल्स कनैकर्ट्स, टरमिनल ब्लाक जैक पैनल्स, पैच कोर्ड माऊटिंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक सरफेस माऊट बक्से	नेटवर्किंग / केबलिंग एवं उससे संबंधित भाग : (सूचना प्रौद्योगिक उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल कोपर केबल केबल्स कनैकर्ट्स, टरमिनल ब्लाक जैक पैनल्स, पैच कोर्ड माऊटिंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक सरफेस माऊट बक्से
(औ)	कन्जूमरबल्स के अन्तर्गत :	सी.डी.रोम / कम्पैक्ट डिस्क फलोपी डिस्क टैप्स डी.ए.टी. / डी.एल.टी.	कन्जूमरबल्स के अन्तर्गत : (सूचना प्रौद्योगिक उद्योग से संबंधित) फाईबर केबल कोपर केबल केबल्स कनैकर्ट्स, टरमिनल ब्लाक जैक पैनल्स, पैच कोर्ड माऊटिंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक सरफेस माऊट बक्से

रिबन्स	प्रारंभिक सत्र	(ii)
टोनर्स	प्रारंभिक सत्र	(iii)
इन्वजैट कारटेजिस	प्रारंभिक सत्र	(iv)
आक्टपुट डिवाइसिस को लगने वाली इंक	प्रारंभिक सत्र	(v)
(अं) इलैक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट :	प्रारंभिक सत्र	(vi)
प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड/पायलेटिंड पी.सी.बी.	प्रारंभिक सत्र	(vii)
प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी.	प्रारंभिक सत्र	(viii)
ट्रांजिस्टर्स	प्रारंभिक सत्र	(ix)
इन्ट्रोट्रिंड सर्किट्स / आई.सी.एस.	प्रारंभिक सत्र	(x)
डायोड्स / थार्डिस्टर / एल.ई.डी.	प्रारंभिक सत्र	(xi)
रेसिस्टर्स	प्रारंभिक सत्र	(xii)
केपेसिटर्स	प्रारंभिक सत्र	(xiii)
स्विचिंग (आन/आफ, पुश बटन, रोकर्स इत्यादि	प्रारंभिक सत्र	(xiv)
प्लगास/सोकेट्स/रिलेज	प्रारंभिक सत्र	(xv)
मैग्नेटिक हैड्स / प्रिन्ट हैड्स	प्रारंभिक सत्र	(xvi)
कनेक्टर	प्रारंभिक सत्र	(xvii)
मार्डिकोफोन्स / स्पीकर्स	प्रारंभिक सत्र	(xviii)
फयूज़स	प्रारंभिक सत्र	(xix)

(अ:) टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत:

- टेलीफोन
विडियो फोन
फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड
टैली प्रिन्टर/टैलेक्स मशीन
पी.ए.वी.एक्स/ई, पी.ए.बी.एक्स/आरए.एक्स/
एम.ए.एक्सटैलीफोन एक्सचेंज
मल्टीप्लैक्सर्स/म्यूजिस
मोडम्स
टैलीफोन आन्सरिंग मशीन
टैलीकम्यूनिकेशन्स स्विचिंग ऑपरेटर्स
एन्टेना एवं मास्ट
वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट
रिसिविंग इक्वीपमेन्ट लाईंक पेजर्स, गोबाईल / सैल्यूलर फोन इत्यादि
वी.एस.ए.टी.ज.
वीडियो कॉनफरेंसिंग इक्वीपमेन्ट
वीडियो एवं डिजिटल सिंगलिंग के लिए लगने वाले रैट टाप बकरों के अन्तर्गत
- (क) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाएं वह व्यवसायिक क्रिया एवं सेवायें हैं जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनको:
- भारत से बाहर वितरित करने के लिए
 - संचार - ज्ञाल के लिए वितरित करने के लिए एवं
 - या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्वोत) या उस कम्पनी के सुदूर गैण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर स्थित)
- टिप्पण : जो सेवायें इनमें शामिल नहीं हैं। यह :
- i- सुदूर उत्पादन/निर्माण इकाईयाँ
 - ii- कम्पनियों के संचालित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं
 - iii- इन्टरनेट पर वास्तविक व्यवसाय
- निम्नलिखित सेवाएं उपरोक्त दिये गये मापदण्ड यदि पूर्ण करते हैं। तो उन्हे सम्मिलित किया जायेगा :
- i)- बैंक ऑफिस आप्रेशन्स

ii)	काल सैन्टरज	प्राचीन
iii)	कोन्टैन्ट डिवेलपमेंट अथवा एनीमेशन	हेतु
iv)	डाटा प्रोसेसिंग	प्राचीनतम् उत्कृष्ट
v)	आभियान्त्रिक एवं रचना	प्राचीनम् तानिश्चिह्नाद् (८)
vi)	ज्योग्यापिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसेज	प्राचीन डीजिटल डेटा डाटाबैज़ एडोर्स प्राचीन डीजिटल डेटा डाटाबैज़
vii)	मानव संसाधन सेवाये	प्राचीन
viii)	बीमा दावा प्रक्रिया	प्राचीन
ix)	लीगल डाटा बेस	प्राचीन
x)	मैहाकल ट्रान्सक्रिप्शन	प्राचीन
xi)	पे - रोल	प्राचीन
xii)	सुदूर रख - रखाव	प्राचीन
xiii)	राजस्व लेख	प्राचीन
xiv)	स्पोर्ट सैन्टरज तथा	प्राचीन
xv)	वैब - साईट सर्विसेज।।।	प्राचीन

प्राचीनतम् के इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८)

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८)
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

(प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।)

प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।

(प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।)

(प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।)

(प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।)

(प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।)

(प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।)

(प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।)

(प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।)

(प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।)

(प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।)

(प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।)

(प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।)

(प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।)

(प्राचीन इन्वेन्टरी शकुन्तला जाखू (८) के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों का विवरण निम्नानुसार है।)